



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019/ फाल्गुन 8, 1940

No. 79]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019/ PHALGUNA 8, 1940

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2019

सं. एल-1/(3)/2009-केविआ.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, क्र. सं. 24 तारीख 28.2.2019 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सं. एल-1/(3)/2009-केविआ, तारीख 9 जनवरी, 2019 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

(क) पृष्ठ 5, पंक्ति 3 पर, "उत्पादन कंपनी की ओर से किसी अन्य इकाई" शब्दों के पश्चात्, "अर्थात् नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन अभिकरण" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) पृष्ठ 5, पंक्ति 24 पर, "कोई" शब्द के स्थान पर "ऐसी" शब्द रखे जाएंगे।

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./554/18]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th February, 2019

No. L-1/(3)/2009-CERC.—In the notification of the Central Electricity Regulatory Commission, No. L-1/(3)/2009-CERC, dated 9th January, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, S. No. 24, dated 28.2.2019, the following corrections are made:

(a) At page 13, lines 24, after the words "or any other entity on behalf of generating company", the words "viz Renewable Power Park Developer and Renewable Energy Implementing Agency" shall be inserted.

(b) At page 13, line 27, the word "any" shall be substituted with the word "such".

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./554/18]